राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– मुसप्र/नियमितिकरण/2014/1613 दिनांक :– 15/1/14

आदेश

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (कर अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 के क्रम में आवासन मण्डल के परिपत्र क्रमांक प.42/मुसप्र/स्टाम्प ड्यूटी में छूट/2013/1200 दिनांक 24.01.2013, क्रमांक 1324 दिनांक 15.02.2013, क्रमांक 1435 दिनांक 27.02.2013, क्रमांक 1486 दिनांक 02.03.2013, क्रमांक 79 दिनांक 12.04.2013, क्रमांक 554 दिनांक 12.07.13 एवं क्रमांक 803 दिनांक 14.08.2013 जारी किये जाकर आवासों के नियमन हेतु विभिन्न चरणों में की जाने वाली कार्यवाही का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(19)एफडी(टैक्स)/2007–56 दिनांक 02.08.2013 एवं क्रमांक एफ.2(19)एफडी(टैक्स)/2007–86 दिनांक 03.01.2014 (प्रतिलिपी संलग्न) के अनुसार नगरीय निकायों द्वारा आवंटित एवं विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के अमुद्रांकित तथा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अन्तिम क्रेता के नाम लीजडीड जारी होने की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी में दिनांक 31.03.2014 तक छूट प्रदान की गयी है।

अतः सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिनांक 31.01.2014 तक निष्पादित अमुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजों से युक्त आवासों के नियमन हेतु दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर नियमन से संबंधित कार्यवाही अपने स्तर से समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों को समाचार पत्र में प्रकाशन, आक्षेप प्राप्त करना, बकाया राशि की गणना करते हुए अन्तिम क्रेता के नाम नियमन/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही पूर्व निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत नियमानुसार दिनांक 31.03.2014 से पूर्व सुनिश्चित की जावें, जिससे दिनांक 31.03.2014 से पूर्व लीजडीड का पंजीयन हो सके। दिनांक 31.03.2014 के पश्चात् भी यदि आवेदन पत्र निस्तारण से लम्बित रहते है तो संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता विलम्ब के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें एवं उनसे बिना कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किये उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(डॉ. आर वेंकटेश्वरन्)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. सचिव/मुख्य अभियन्ता(मु.)/प्रथम/द्वितीय/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राज0 आ0 म0 जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर एवं जोधपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–......................., रा0आ0मं0, ... (समस्त)
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......................., रा0आ0मं0 ,........................... (समस्त)
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

N.S Negi :\Sd F\...\Negi letter-3 01-01-14.docx